

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/02/2017-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	रविंदर कुमार कौशिक	2003	03.03.2012
2.	बलविंदर सिंह धालीवाल	2005	11.01.2014
3.	इंदु मल्होत्रा	2006	11.01.2014
4.	प्रीतदेव सिंह शेरगिल	2006	11.01.2014
5.	रविंदर सिंह	2006	11.01.2014
6.	परदीप कुमार	2007	05.02.2016
7.	शिवदुलार सिंह ढिल्लों	2008	05.02.2016
8.	राजीव पराशर	2008	05.02.2016
9.	विनय बबलानी	2008	05.02.2016
10.	कमलदीप सिंह संघ	2009	10.02.2015
11.	करनेश शर्मा	2010	13.01.2016
12.	हरीश नय्यर	2010	15.01.2017
13.	परमपाल कौर	2011	08.02.2017

  
(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
फरीदाबाद, (हरियाणा).